



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा

जिला – सुकमा (छ.ग.)



Email Id- dplc.sukma@gmail.com

Office Phone No. 07864-284018,

क्रमांक / २६ / DPLCS / 2022-23

सुकमा, दिनांक २२/०८/२०२२

// विज्ञापित //

WALK IN INTERVIEW

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण हेतु सुकमा जिले के दूर-दराज एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु, बालक एवं बालिका छात्रावास उपलब्ध है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था किया जाना है। छात्रावास में रहने वाले युवक-युवतियों की देख-रेख एवं साफ-सफाई तथा विभिन्न सुरक्षात्मक दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पदों में अस्थाई (कलेक्टर दर) रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना है, जिसके लिए दिनांक २९.०८.२२ को बालक/बालिका छात्रावास लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा में समय ११ AM बजे walk in interview का आयोजन किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र०.	पदनाम	वर्ग	न्यूनतम अर्हता	पद संख्या	वेतन
1	महिला सुरक्षाकर्मी	मुक्त	12 वी पास	01	कलेक्टर दर अनुसार वेतन निर्धारण होगा
2	पुरुष सुरक्षाकर्मी	मुक्त	12 वी पास	01	
3	भृत्य महिला पद – 01 पुरुष पद – 01	मुक्त	8 वी पास	02	अंशकालिन अनुसार वेतन निर्धारण होगा

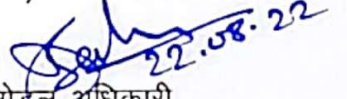
इच्छुक अभ्यर्थी जो की निर्धारित अर्हता रखते हो वे दिनांक २९.०८.२२ तक समस्त बायो डाटा (सह मूल दस्तावेज) के साथ समय ११ AM बजे तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा के सभा कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।

नियम/शर्तें

1. नियुक्त पूर्णता अभ्यर्थी के कार्यनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा।
2. कर्मचारी की नियुक्ति पूर्णता अस्थायी होगी एवं भविष्य में पद की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में, किसी भी समय सेवा डायरेक्टर, लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. कर्मचारी का मानदेय कलेक्टर दर अनुसार वेतन निर्धारित रहेगा एवं अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य भत्ते एवं मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
4. चयनित अभ्यर्थी की सेवा कलेक्टर दर पर नियुक्ति किया जायेगा।
5. सुकमा जिले के निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।

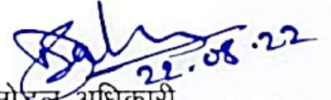
6. संबंधित पद हेतु आवेदन करने के लिए उम्र न्यूनतम**21**..... वर्ष की होगी।
7. शासकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं अतिरिक्त अवकाश लिये जाने पर वेतन से कटौती की जावेगी।
8. कलेक्टर सह अध्यक्ष एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में याचिक दायर नहीं किया जा सकता है।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा महोदय द्वारा अनुमोदित)


नोडल अधिकारी

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा
जिला - सुकमा (छ.ग.)

1. कलेक्टर महोदय, जिला - सुकमा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. विभाग सुकमा को जिले के वेब साईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग सुकमा को जिले के दो बहुप्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।


नोडल अधिकारी

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा
जिला - सुकमा (छ.ग.)